महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगंसिविबी/प्रबन्ध बोर्ड-34/2020/ 4243-58 दिनांक 4-7-2020

प्रबन्ध बोर्ड की 34 वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 34वीं बैठक दिनांक 30 जून, 2020 को प्रातः 11:00 बजे प्रबन्ध बोर्ड सभागार, महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) में माननीय कुलपति प्रो. पी.सी. त्रिवेदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रो. पी.सी. त्रिवेदी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2	श्रीमती कृष्णा पूनिया माननीया विधायक-सादुलपुर	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से)
3	श्री जगदीश चन्द्र माननीय विधायक-सादुलशहर	सदस्य
4	संभागीय आयुक्त, बीकानेर प्रतिनिधि, शासन सचिव, वित्त राज. सरकार, जयपुर	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से)
5	डॉ. मोहम्मद नईम, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा राज. सरकार, जयपुर	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से)
6	प्रो. लक्ष्मी शर्मा माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से)
7	प्रो. कृपाशंकर तिवाडी माननीय कुलाधिपति द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से)
8	डॉ. विनोद चन्द राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से)
9	डॉ. एन.एस. बिस्सा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से)
10	डॉ. भगवानाराम विश्नोई राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	सदस्य
11	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
14	प्रो. अनिल कुमार छंगाणी कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
15	प्रो. राजाराम चोयल कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
16	श्री भंवर सिंह चारण, कुलसचिव	सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner

बैठक के प्रारम्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में उपस्थित एवं विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जुडे माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड में प्रथम बार मनोनीत प्रो. कृपाशंकर तिवाडी, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्य एवं डॉ. भगवानाराम विश्नोई, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य का नव-मनोनयन पर हार्दिक अभिनन्दन एवं स्वागत किया गया।

प्रबन्ध बोर्ड ने निवर्तमान माननीय अध्यक्ष प्रो. भगीरथ सिंह, माननीय सदस्य प्रो. नारायण सिंह राव, डॉ. अनन्त जोशी एवं सदस्य सचिव श्री अमरनाथ अग्रवाल द्वारा प्रबन्ध बोर्ड बैठक एवं विश्वविद्यालय में दिये गए सहयोग की सराहना की।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

मद संख्या	विवरण	अनुभाग/ विभाग
423	दिनांक 11-10-2019 को सम्पन्न हुई प्रबन्ध बोर्ड की 33वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव। परिशिष्ट-1 (पृष्ठ संख्या : 01-04)	शैक्षणिक
निर्णय	पुष्टि की गई।	
424	दिनांक 11-10-2019 को आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की 33वीं बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट-2 (पृष्ठ संख्या : 05-16)	
निर्णय	निम्नलिखित बिन्दुओं के साथ गत बैठक की पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया :- **विनिर्णय संख्या 410** :- चाईल्ड केयर लीव की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए प्रार्थना पत्र पर अपनी राय अंकित कर नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करें। **विनिर्णय संख्या 371 (1)** :- कार्मिकों को मानदेय/पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु गठित समिति में डॉ. अनन्त जोशी का प्रबन्ध बोर्ड सदस्य के रूप कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके स्थान पर डॉ. भगवानराम विश्नोई को गठित समिति में सम्मिलित किया गया। **विनिर्णय संख्या 420** :- माईक्रोसॉफ्ट कम्पनी का ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एम.एस. ऑफिस GEM के माध्यम से क्रय किया जाए। **विनिर्णय संख्या 421** :- उपरोक्त बिन्दु के सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिये गए निर्णयों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करने एवं शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया। कोविड-19 के कारण खेलकूद गतिविधियों हेतु खेल शुल्क में की गई वृद्धि को सत्र 2020-21 हेतु स्थगित किया गया।	संस्थापन परीक्षा सामान्य प्रशासन सम्पदा खेलकूद
425	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 43 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कुलपति महोदय के निर्देश में तैयार करवाकर मुद्रण पश्चात् विधानसभा में प्रेषित करने हेतु राज्य सरकार को भिजवा दी गई है। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट-3 (पृष्ठ संख्या: 17-43)	शैक्षणिक

Scanned with CamScanner

निर्णय	पुष्टि की गई।	
426	प्रतिवेदित है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.6(3)FD(Rules)/2017 एवं F.12(8)FD(Rules)/2017 दिनांक 27-03-2020 के द्वारा जारी महंगाई भत्ते में अभिवृद्धि हुई। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.05(26) मगंसिंविबी/लेखा/2020/ SPL-1 दिनांक 01-04-2020 जारी किया गया। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। (पृष्ठ संख्या : 44-48) परिशिष्ट-4	लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
427	प्रतिवेदित है कि कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) के प्रावधानानुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा 01 अप्रेल, 2020 से विश्वविद्यालय बजट का प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन होने तक अनुमोदित अंतरिम बजट (लेखानुदान) स्वीकृत किया गया। उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प. 05(122)लेखा/मगंसिंविबी/2020/SPL-1 दिनांक 31-03-2020 जारी किया गया। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट-5 (पृष्ठ संख्या : 49)	लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
428	वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव। वित्तीय वर्ष 2017-18 की अंकेक्षण रिपोर्ट संलग्न प्रस्तुत है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंकेक्षण रिपोर्ट पृथक् से प्रस्तुत की जाएगी। परिशिष्ट- 6 (पृष्ठ संख्या : 50-66)	लेखा
निर्णय	**वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की अंकेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।**	
429	वित्त समिति द्वारा अनुशंसित वित्त वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय एवं वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट- 7 (पृष्ठ संख्या : 67-77)	लेखा
निर्णय	**वित्त वर्ष 2019-20 के वास्तविक व्यय एवं वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान का अनुमोदन किया गया।**	
430	कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय कार्मिकों के मार्च माह के वेतन निर्धारित प्रतिशत में स्थगन किया गया था। विश्वविद्यालय में शिक्षकों/कार्मिकों के वेतन का वित्तीय भार विश्वविद्यालय की स्वयं की आय से वहन किया जा रहा है इसमें राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को वेतन भुगतान पेटे वित्तीय अनुदान नही दिया जा रहा है। कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा स्थगत वेतन का भुगतान करने का अनुरोध किया है। अतः मार्च माह में स्थगन वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट- 8 (पृष्ठ संख्या : 78)	लेखा

Scanned with CamScanner

निर्णय	राज्य सरकार द्वारा स्थगित वेतन भुगतान करने के आदेश प्रसारित होने पर ही विश्वविद्यालय में स्थगित वेतन का भुगतान किया जाए।	
431	विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कार्मिकों के आश्रितों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभागों में प्रवेश लेने पर उनका शैक्षणिक शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय	विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कार्मिकों के आश्रितों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभागों में प्रवेश लेने पर उनका शैक्षणिक शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया।	
432	कला, साहित्य, संस्कृति एवं खेल जगत में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाना है जिसके अन्तर्गत एक लाख रूपये की नगद राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक / सामान्य प्रशासन
निर्णय	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जिसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश (नियमावली) तैयार करवाई जाएगी जो प्रबन्ध बोर्ड में अनुमोदन हेतु रखी जाएगी। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य करने वाले विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं कार्मिकों को भी स्थापना दिवस पर सम्मानित करने निर्णय लिया गया।	
433	राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी की 150 वी जयन्ती पर विश्वविद्यालय में स्थापित सेन्टर फॉर गाँधीयन स्टडीज : पीस एण्ड नॉन वॉयलेन्स द्वारा गाँधी शान्ति पुरस्कार प्रदान किया जाना है जिसके अन्तर्गत एक लाख रूपये की नगद राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	सेन्टर फॉर गांधीयन स्टडीज
निर्णय	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। माननीय सदस्यों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी की 150 वीं जयन्ती वर्ष पर 02 अक्टूबर, 2020 तक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए योजना तैयार करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :- (1) श्रीमान् जगदीश चन्द्र, माननीय विधायक-सादुलशहर - संयोजक (2) डॉ. विनोद चन्द्रा, माननीय सदस्य प्रबन्ध बोर्ड - सदस्य (3) प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, माननीय सदस्य प्रवन्ध बोर्ड एवं डॉयरेक्टर, सेन्टर फॉर गाँधीयन स्टडीज : पीस एण्ड नॉन वॉयलेन्स - सदस्य सचिव (4) डॉ. बिट्ठल बिस्सा, उप कुलसचिव - सदस्य विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया।	

Scanned with CamScanner

टेबल मद		
434	वर्ष 2012 में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं वर्ष 2013 में नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष को CAS के तहत Stage I to II (AGP 6000 to 7000) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 एवं संशोधित विनियम, 2016 के नियम 6.3.5.1 के अनुसार Screening cum Evauluation Committee द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं का नियम 6.3.6 के अनुसार प्रबन्ध बोर्ड में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। संलग्न : अनुशंसा	संस्थापन लेखा
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को CAS के तहत Stage I to II (AGP 6000 to 7000) अनुसार Screening cum Evauluation Committee द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया। साथ ही सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को पात्रता तिथि से नगद लाभ प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत शिक्षकों को पात्रता तिथि से सी.ए.एस का नगद लाभ प्रदान नही किया जाकर कॉल्पनिक लाभ प्रदान किया गया है। सहायक आचार्य द्वारा पात्रता तिथि से नगद लाभ प्रदान करने का लगातार अनुरोध किया जा रहा है। सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि सहायक आचार्यो को पात्रता तिथि से नगद लाभ प्रदान करने लिए राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्रतीक्षित है। उक्त बिन्दु पर विडियो कॉन्फेन्सिंग से जुडे शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा डॉ. मोहम्मद नईम ने अवगत कराया कि सहायक आचार्यो का पदनाम परिवर्तन नही होकर उच्च ग्रेड प्रदान की जा रही है। अतः शिक्षकों को पात्रता तिथि से नगद लाभ प्रदान करने की सहमति व्यक्त की गई। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में पदस्थापित सहायक आचार्यो को पात्रता तिथि से नगद लाभ प्रदान करने एवं एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रबन्ध बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से विपरीत निर्णय आने की स्थिति में वसूली करने का सम्बन्धित शिक्षकों से शपथ प्राप्त कर लिया जाए। सदस्य सचिव श्री भंवर सिंह चारण ने उक्त निर्णय पर अपनी असहमति व्यक्त की।**	
435	विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को नियमित विभागीय पदोन्नति समिति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 2(1)कार्मिक/क–2/अंप्र./91 पार्ट जयपुर दिनांक 07 जनवरी, 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। संलग्न : कार्मिक विभाग का परिपत्र ।	संस्थापन
निर्णय	**कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के अनुसार विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2020-21 से कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।**	

Scanned with CamScanner

436	विद्यार्थी सुविधा केन्द्र का नाम "पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न "स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी" के नाम पर करने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	सम्पदा
निर्णय	विद्यार्थी सुविधा केन्द्र का नाम "राजीव गाँधी विद्यार्थी सेवा केन्द्र" करने का निर्णय लिया गया।	
437	प्रवन्ध वोर्ड के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय पत्रांक 20596 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा गणेश डिग्री कॉलेज, गोपालसर, तहसील-सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर को सम्बद्धता शर्तो की पालना न करने के कारण महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी गई थी। महाविद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों के हितो को ध्यान में रखते हुए परीक्षा-2020 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र छः गुणा शुल्क के साथ भरवाये गए। प्रस्ताव पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक परीक्षा
निर्णय	पुष्टि की गई। साथ ही परीक्षा आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को शुल्क के सम्बन्ध में पत्र के माध्यम से सूचित करने के निर्देश प्रदान किये गए।	
438	विद्या परिषद् की 19 वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2020 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव।	शैक्षणिक
निर्णय	अनुमोदन किया गया। माननीय सदस्य श्रीमान् जगदीश चन्द्र ने सुझाव दिया कि इस विश्वविद्यालय में गुरूनानक देव चेयर स्थापित की जानी चाहिए। इस हेतु विश्वविद्यालय को राज्य सरकार को निवेदन करना चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किसी महाविद्यालय को भी इस हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(भंवर सिंह चारण)
सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner